

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE

.....  
New Delhi, the 23rd July, 1999.

NOTIFICATION  
(INCOME-TAX )

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies tax-free bonds of the National Housing Bank-Swarna Jayanti Rural Housing Finance, 1998-99 (Second Series) of rupees one lakh each carrying an interest of 9.15% per annum for a period of 7 years for an amount of rupees one hundred crores only bearing distinctive numbers from B-1/00001 to B-1/10000 issued during 1998-99 by National Housing Bank for the purpose of the said section :

Provided that the benefit under the said section shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and the holding with the said Bank.

Notification No. 11005

*Bhadra*

( SAMAR BHADRA )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

(F.No.178/46/99-ITA-I)

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड में पृष्ठा पन्ना थ।

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २३ अप्रैल १९६७।

## अधिष्ठापना

४ अ० आयकर अधिनियम, १९६१। १९६१ का ५३१ की पारिका, आ० १० के खण्ड ४१५४ के उपखण्ड ४१७ की मदजी द्वारा प्रदत्त शिक्षण की छाती करते हुए, केन्द्रीय उच्चार संसद द्वारा भारतीय आवास हेंड द्वारा वर्ष १९६८-६९ के दौरान उक्त धारा के प्रयोगनार्थ जारी बी-१/००००१ से बी-१/१०००० तक के विविध संख्या वाले एक सौ करोड़ रुपये मात्र की प्रसरणीय के प्रत्येक एक लाख रुपये के ७ वर्ष की अवधि के लिए १०.१५% प्रति वर्ष द्वारा वाले राष्ट्रीय आवास रुपये के ७ वर्ष की अवधि के लिए १०.१५% प्रति वर्ष द्वारा वाले राष्ट्रीय आवास हेंड-स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त कर मुक्त हाण्डों, १९६८-६९। इतीहा० श्रेष्ठलाई को विनिर्दिष्ट करती है।

ब्रह्मलाल का योग्य बन-ध-पत्रों का धारक अपना नाम और धृति उक्त दैत्य के पास पंजीकृत करा देता

अधिकारी सं० 11005

समरभद्र  
समर भद्र  
अवरं सीचित्, भारत सरकारः